इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 390]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 अगस्त 2011—श्रावण 25, शक 1933

## जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2011

क्र. एफ-22-58-2011-पी-1-इक्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1968 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

## संशोधन

उक्त नियम में,:--

(1) अनुसूची-एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:--

## ''अनुसूची-1''

अनुक्रमां	क सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	क	र्तव्य पदों की संख	त्र्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभियुक्तियाँ
		जल संसाधन विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में स्वीकृत पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
1	प्रमुख अभियंता	2	1	3	वर्ग-1	37400—67000+ग्रेड पे 1000	0
2	मुख्य अभियंता (सिविल)	10	5	15	वर्ग-1	37400—67000+ग्रेड पे 8900	

(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
3	मुख्य अभियंता (वि./यां)	1	1	2	वर्ग-1	37400—67000+ग्रेड पे 8900	
4	अधीक्षण यंत्री (सिविल)	53	24	77	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 7600	
5	अधीक्षण यंत्री (वि./यां)	5	0	5	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 7600	
6	मुख्य कार्मिक अधिकारी	1	0	1	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 7600	
7	अधीक्षण भू-विद्/भू-जल विद्	1	0	1	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 7600	
8	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	153	84	237	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 6600	
9	कार्यपालन यंत्री (वि./यां)	18	4	22	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 6600	
10	मुख्य लेखा अधिकारी	2	0	2	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 6600	
11	वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी	1	0	1	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 6600	
12	वरिष्ठ भू-विद/भू-जल विद्	12	0	12	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 6600	
13	वरिष्ठ भू-भौतिक विद्	1	0	1	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 6600	
14	वरिष्ठ भू-रसायन विद्	2	0	2	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 6600	
15	वरिष्ठ श्रम कल्याण अधिकारी	1	0	1	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 6600	
16	अनुसंधान अधिकारी	4	0	4	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 6600	
17	रिसोर्स सांइटिस्ट	1	0	1	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 6600	
18	सिस्टम एनालिस्ट	1	0	1	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 6600	
19	सहायक यंत्री (सिविल)	917	277	1194	वर्ग-2	15600—39100+ग्रेड पे 5400	
20	सहायक यंत्री (वि./यां)	98	17	115	वर्ग-2	15600—39100+ग्रेड पे 5400	
21	साइंटिफिक अधिकारी	2	0	2	वर्ग-2	15600—39100+ग्रेड पे 5400	
22	लेखा अधिकारी	11	6	17	वर्ग-2	9300—34800+ग्रेड पे 4200	
23	सहायक अनुसंधान अधिकारी	13	6	19	वर्ग-2	15600—39100+ग्रेड पे 5400	
24	सहायक भू-विद्/भू-जल विद्	35	5	40	वर्ग-2	15600—39100+ग्रेड पे 5400	
25	सहायक भू-भौतिक विद्	6	0	6	वर्ग-2	15600—39100+ग्रेड पे 5400	
26	सहायक भू-रसायन विद्	6	0	6	वर्ग-2	15600—39100+ग्रेड पे 5400	
27	श्रम कल्याण अधिकारी	1	0	1	वर्ग-2	15600—39100+ग्रेड पे 5400	
28	प्रोग्रामर	2	0	2	वर्ग-2	9300—34800+ग्रेड पे 4200	
29	केनाल डिप्टी कलेक्टर	13	0	13	वर्ग-2	9300—34800+ग्रेड पे 4200	

(2) अनुसूची-दो में, कॉलम (4) तथा (5) में, सहायक यंत्री से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

विभाग का नाम	पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या		न विभाग अभियांत्रिकी सेवा (राजपत्रित) फर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
				सेवा के स्थानापन्न सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 7(ख) देखिए]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जल संसाधन विभाग ,	सहायक यंत्री (वर्ग-दो)	1194	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत (35 प्रतिशत उन उपयंत्रियों में से, जो डिप्लोमाधारी हैं, 10 प्रतिशत उन उपयंत्रियों में से, जो अभियांत्रिकी स्नातक हैं तथा 05 प्रतिशत मानचित्रकार संवर्ग से.	

(3) अनुसूची-चार में, कॉलम (2) में, शीर्षक ''मध्यप्रदेश जल संसाधन अभियांत्रिकी सेवा (राजपत्रित)'' के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों ''अधीक्षण यंत्री (वर्ग-एक)'', ''कार्यपालन यंत्री (वर्ग-एक)'' तथा ''सहायक यंत्री (वर्ग-दो)'' और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियों स्थापित की जाएं, अर्थातु:—

विभाग	उस सेवा या	अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु	उस सेवा या	विभागीय पदोन्नति समिति	अभ्युक्तियां
का नाम	पद का नाम	अर्ह होने की न्यूनतम कालावधि	पद का नाम	के सदस्यों के नाम	
	जिससे पदोन्नति		जिस पर		
	की जानी है		पदोन्नति की		
			जानी है		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	,				

## जल संसाधन अधीक्षण यंत्री विभाग (वर्ग-एक)

- (1) 5 वर्ष (अधीक्षण यंत्री के रूप में कुल सेवाकाल में से कम से कम एक वर्ष का रूपांकन, सर्वेक्षण तथा अनुसंधान कार्य में अनुभव आवश्यक होगा.)
- (2) ''इसके लिए कम्प्यूटर तथा इंटरनेट उपयोग करने का ज्ञान आवश्यक अर्हता होगी.''. ''इस हेतु उन्हें राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रमाण-पत्र या समय-समय पर आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा.''.
- मुख्य अभियंता 1. मुख्य सचिव अध्यक्ष (वर्ग-एक)
  - वरिष्ठतम अपर सदस्य मुख्य सचिव.
  - प्रमुख सचिव, सदस्य जल संसाधन विभाग.
  - उपसचिव/ सदस्य अपर सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग (स्थापना का प्रभारी).

(1)(6) (2) (3) (4) (5) कार्यपालन यंत्री (1) 5 वर्ष (कार्यपालन यंत्री के रूप अधीक्षण यंत्री 1. अध्यक्ष— (वर्ग-एक) में कुल सेवाकाल में से कम से कम (वर्ग-एक) लोक सेवा आयोग एक वर्ष का रूपांकन, सर्वेक्षण तथा या उसके द्वारा अनुसंधान कार्य में अनुभव आवश्यक नामनिर्दिष्ट सदस्य- अध्यक्ष होगा). 2. प्रमुख सचिव (2) ''इसके लिए कम्प्यूटर तथा इंटरनेट जल संसाधन उपयोग करने का ज्ञान आवश्यक विभाग-सदस्य अर्हता होगी.''. ''इस हेतु उन्हें राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त 3. प्रमुख अभियंता-सदस्य जल संसाधन विभाग. संस्थान का प्रमाण-पत्र या समय-समय पर आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना 4. मुख्य अभियंता/ आवश्यक होगा.''. अधीक्षण यंत्री-सदस्य (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति). सहायक यंत्री (1) 6 वर्ष (सहायक यंत्री के रूप में कार्यपालन यंत्री 1. लोक सेवा -अध्यक्ष (वर्ग-दो) आयोग का अध्यक्ष कुल सेवाकाल में से कम से कम (वर्ग-एक) एक वर्ष का रूपांकन, सर्वेक्षण तथा या उसके द्वारा अनुसंधान कार्य में अनुभव आवश्यक नामनिर्दिष्ट. होगा). 2. प्रमुख सचिव-सदस्य (2) ''इसके लिए कम्प्यूटर तथा इंटरनेट जल संसाधन विभाग. उपयोग करने का ज्ञान आवश्यक अर्हता होगी.''. ''इस हेतु उन्हें 3. प्रमुख अभियंता-जल संसाधन विभाग. राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रमाण-पत्र या समय-समय पर आयोजित होने वाली 4. उपसचिव/ विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अपर सचिव/ - सदस्य

सचिव,

जल संसाधन विभाग (स्थापना का प्रभारी).

आवश्यक होगा.''.

F-22-58-2011-P I-XXXI.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Water Resources Engineering and Geological Service (Gazetted) Recruitment Rules, 1968, namely:—

## **AMENDMENTS**

In the said rules:—

(1) For Schedule 1, the following Schedule shall be sub substituted, namely:—

## "SCHEDULE-1

S.No.	Name of post included in	Total No	o. of Duty Pos	st	Classification	Scale of Pay	Remarks
		Number of sanctioned posts in Water Resources Department	Number of sanctioned posts in N.V.D.A.	Total Number of posts			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
1	Engineer-in-Chief	2	1	3	Class-I	37400—67000+GP 10000	
2	Chief Engineer (Civil)	10	5	15	Class-I	37400—67000+GP 8900	
3	Chief Engineer (E&M)	1	1	2	Class-I	37400—67000+GP 8900	
4	Superintending Engineer (Civil)	r 53	24	77	Class-I	15600—39100+GP 7600	
5	Superintending Engineer (E&M)	5	0	5	Class-I	15600—39100+GP 7600	
6	Chief Personnel Officer	1	0	1	Class-I	15600—39100+GP 7600	
7	Superintending Geologis Geohydrologist.	st/ I	0	1	Class-I	15600—39100+GP 7600	
8	Executive Engineer (Civil).	153	84	237	Class-I	15600—39100+GP 6600	
9	Executive Engineer (E&M).	18	4	22	Class-I	15600—39100+GP 6600	
10	Chief Account Officer	2	0	2	Class-I	15600—39100+GP 6600	
11	Senior Administrative Officer.	1	0	1	Class-I	15600—39100+GP 6600	
12	Senior Geologist/ Geohydrologist.	12	0	12	Class-I	15600—39100+GP 6600	
13	Senior Geophysicist	1	0	1	Class-I	15600—39100+GP 6600	

(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
14	Senior' Geochemist	2	0	2	Class-I	15600—39100+GP 6600	
15	Senior Labour Welfare' Officer.	1	0	1	Class-I	15600—39100+GP 6600	
6	Research Officer	4	0	4	Class-I	15600—39100+GP 6600	
17	Resource Scientist	1	0	1	Class-I	15600—39100+GP 6600	
.8	System Analyst	1	0	1	Class-I	15600—39100+GP 6600	
.9	Assistant Enginerr (Civil)	917	277	1194	Class-II	15600—39100+GP 5400	
0	Assistant Enginerr (E&M)	98	17	115	Class-II	15600—39100+GP 5400	
1	Scientific Officer	2	0	2	Class-II	15600—39100+GP 5400	
2	Account Officer	11	6	17	Class-II	9300—34800+GP 4200	
3	Assistant Research Officer	13	6	19	Class-II	15600—39100+GP 5400	
4	Assistant Geologist/ Geohydrologist	35	5	40	Class-II	15600—39100+GP 5400	
5	Assistant Geophysicist	6	0	6	Class-II	15600—39100+GP 5400	
6	Assistant Geochemist	6	0	6	Class-II	15600—39100+GP 5400	
7	Labour Welfare Officer	1	0	1	Class-II	15600—39100+GP 5400	
8	Programmer	2	0	2	Class-II	9300—34800+GP 4200	
9	Canal Deputy Collector	13	0	13	Class-II	9300—34800+GP 4200.".	

(2) In Schedule-II, for the existing entries relating to Assistant Engineer, in column (4) and (5), the following entries shall be substituted namely:—

Name of Department	Name of Post	Total No. of Duty Post	Engineering S	desh Water Resources Department Service (Gazetted) Percentage of the er of duty posts to be filled in	Remarks
			By direct recruitment [vide rule7(a)]	By promotion of the substantive members of service [vide rule7(b)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Water Resources Department.	Assistant Engineer. (Class-II)	1194	50%	50% (35% From Sub-Engineers, who are Diploma holders, 10% From Sub-Engineers who are Degree holder in Engineering and 5% From the Draftsman cadre).	

(3) In Schedule-IV, in column (2) under the heading "Madhya Pradesh Water Resources Engineering Services (Gazetted)" for the existing entries Superintending Engineer (Class-I)", "Executive Engineer (Class-I)", and "Assistant Engineer (Class-II)" and entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:—

Name of Department	Name of Service or Post from which promotion is to be made	Minimum period to qualify for promotion to the next higher Post	Name of Service or Post to which promotion is to be made	Name of members of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Water Resources Department	Superintending Engineer (Class-I)	<ul> <li>(1) 5 years (out of total period of Service as Superintending Engineer at least one year's experience in Design, Survey and Research work shall be necessary.</li> <li>(2) "The knowledge of computer and use of internet shall be the essential qualification". For this, it shall be essential that they obtain certificate from a National/ State level recognized institute or to pass departmental examinations being held time to time.</li> </ul>	Chief Engineer (Class-I)	1. Chief Secretary— Chairman  2. Senior Most Additional Chief Secretary— Member  3. Principal Secretary, Water Resources Department— Member  4. Deputy/Additional Secretary/ Secretary Water Resources Department (Incharge of Establishment)— Member	
	Executive Engineer (Class-I)	<ul> <li>(1) 5 years (out of total period of Service as Executive Engineer at least one year's experience in Design, Survey and Research work shall be necessary.)</li> <li>(2) "The knowledge of computer and use of internet shall be the essential qualification". For this, it shall be essential that they obtain certificate from a National/ State level recognized institute or to pass departmental examinations being held time to time.</li> </ul>	Superintending Engineer (Class-I)	<ol> <li>Chairman PSC or Member nominated by him— Chairman</li> <li>Principal Secretary, Water Resources Department — Member</li> <li>Engineer-in-Chief Water Resources Department — Member</li> <li>Chief Engineer/ Superintending Engineer (SC/ST)— Member</li> </ol>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Assistant Engineer (Class-II)	(1) 6 years (out of total period of Service as Assistant Engineer at least one year's experi- ence in Design, Survey	Executive Engineer (Class-I)	Chairman Public Service     Commission or Member     nominated by him—     Chairman	
		and Research work shall be necessary.		<ol> <li>Principal Secretary,</li> <li>Water Resources</li> <li>Department— Member</li> </ol>	
		(2) "The knowledge of computer and use of internet shall be the		3. Engineer-in-Chief	
		essential qualification". For this, it shall be essential that they obtain		Water Resources Department— Member	
		certificate from a National/ State level recognized institute or to pass departmental		4. Deputy/Additional Secretary/ Secretary Water Resources Department (Incharge of	
		examinations being held time to time.		Establishment)— Member	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार, उपसचिव.